

ऋण स्वीकृत करवा कर गरीब ड्राइवरों एवं नवयुवकों को जिन्दगी की कमाई हुई राशि उस में सम्मिलित करवा कर बैंकों एवं वित्त निगम के यहां वाहनों को प्लेज करवा कर वाहन उपलब्ध कराये। उक्त वाहनों की भार क्षमता कम होते हुए भी अधिक भार क्षमता होने को गलत तरीके से प्रमाणित करवाया और इस प्रकार ज्यों ही वाहन सड़क पर चले लगभग सभी वाहन एक साल को अवधि में ही बेकार हो गये और सड़क पर चलने योग्य नहीं रहे। इसके फलस्वरूप मैकडों नवयुवकों एवं ड्राइवरों द्वारा उक्त वाहनों के लिए किया हुआ नियोजन फेल हो गया है और उनके द्वारा बैंकों व वित्त निगमों से एक वाहन पर करीब डेढ़ लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में जो कर्ज ली गई उसके न चुकाये जाने से बैंकों द्वारा सैकड़ों मूकदमें उक्त राशि को वसूलों के लिए कर दिये गये हैं। उदाहरणार्थ स्वतंत्रता मैदानों श्री अब्दुल गफूर ने उक्त वाहन खरीदने के लिए एक लाख छत्तीस हजार रुपये कर्ज लिये जिसमें से 38,000 रुपये को राशि को किशतें चुकाने के बावजूद वाहन विलकुल बेकार होने जाने से लोहे के स्क्रैप के रूप में पड़ा है जिसकी कीमत अब केवल 10,000 रुपये तक ही है परन्तु ए०सी०बी० वी० जे० रायपुर ने श्री अब्दुल गफूर पर दो लाख बीस हजार का दावा वसूलों के लिए दायर किया है इससे वाहन मालिक को बहुत परेशानी ही गई है और उनकी मुक्ति इस स्थिति से किस प्रकार होगी यह एक गंभीर एवं विचारणीय प्रश्न है। उपरोक्त वाहनों के इंजिन एवं अन्य संयंत्रों की निष्कायत होने पर भारत सरकार ने उक्त कम्पनी द्वारा निर्मित वाहनों के कमिश्नल उत्पादन को जांच हेतु एक उच्चमन्त्रीय जांच समिति नियुक्त की थी और उक्त समिति ने भी सितम्बर, 1972 में भारत सरकार को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके अनुसार हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड द्वारा उत्पादन किये गये वाहनों को विलकुल खराब बताया है और उक्त वाहनों में पचासी कमियों का दिग्दर्शन कराया है।

हिन्दुस्तान मोटर्स, कलकत्ता द्वारा निर्मित वाहन लगभग 100 प्रतिशत फेल हो

जाने का तकनीकी कारण ही है और वाहन मालिकों का इस में कोई दोष नहीं है। स्थिति यह हो गई है कि बैंकों ने उक्त वाहन पर ऋण देना एंव बीमा कम्पनियों ने बीमा करना बन्द कर दिया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को करोड़ों की राशि एक ओर विलकुल बेकार हो गई है और दूसरी ओर वाहन ड्राइवर से मालिक बनने के चक्कर में खरोद किये गये वाहनों के नवयुवक खरीददारों का भी सर्वस्व लुट चुका है और वे दाने दाने के लिए मोहताज हो गये हैं। इसी प्रकार राज्य सरकारें भी उक्त वाहन के खरीदने के फलस्वरूप भारी आर्थिक हानि को शिकार हुई है। उपरोक्त समस्या लोक महत्व की है अतः मैं आपने माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान मोटर कम्पनी, कलकत्ता की निर्मित वाहनों के खरीददारों के विरुद्ध बैंकों वित्त निगमों द्वारा दायर किये गये वाद एवं वसूलों की कार्यवाही तुरंत प्रभाव से स्थगित करायी जाये एवं बैंकों को इस सम्बन्ध में निदेश दिये जायें। सरकार द्वारा मध्यस्थता कर न्यायालय में चल रहे वादों का समुचित निर्णय कराया जाये। सरकार द्वारा सन् 1972 में उक्त कम्पनी के वाहनों के सम्बन्ध में नियुक्त की गई जांच समिति की रिपोर्ट में दिये गये निर्देशों का पालन कराया जाये एवं अब तक जिन व्यक्तियों द्वारा पालना नहीं की गई है उन के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाये एवं गरीब खरीददारों को अविश्वस्य राहत पहुंचाई जाये।

REFERENCE TO OUTBREAK OF MENINGITIS IN DELHI

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) :
उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाने की इजाजत दी है। 13 तारीख की अखबार में एक खबर है कि दिल्ली में 60 मौतें मष्तिष्क ज्वर से हो चुकी हैं। हजारों आदमी मष्तिष्क ज्वर से दिल्ली में बीमार हैं। यह इतनी तेजी से बढ़ रहा है दिल्ली में कि पड़ोसी राज्यों में भी इसका प्रभाव होने

[श्री रामचन्द्र विकल]

जा रहा है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान इस प्रश्न के द्वारा इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि दिल्ली में मष्तिष्क ज्वर से होने वाली मौतों को तुरंत रोकें और साथ ही दिल्ली के अलावा जो पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा यूपी० राजस्थान उनमें फैलने की जो आशंका हो गयी है इसको रोकने के लिए जो भी उपाय हो वें करें चाहे टीका लगाकर रोकें डाक्टरों को घरों में भेजने से रकता हो तो रोकें दवाओं से रकता हो तो उससे रोकें। बीमारी की रोकथाम का जो कोई भी उपाय हो उसको केन्द्रीय सरकार और हेल्थ विभाग जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करे, दिल्ली और उसके आसपास ताकि वो जो मौतें हो रही हैं न हों और बहुत तादाद में लोगों का जनजीवन बचाया जा सके। यही मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूँ।

श्री प्रवीण कुमार प्रजापति (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, मैं अपने इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार और खान पान पर स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान, दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में मेनिनजाइटिस नामक रोग के प्रकोप की ओर दिलाना चाहता हूँ। श्रीमन्, यह रोग दो प्रकार का है एक जो मष्तिष्क पर प्रभाव डालता है और दूसरा रक्त-प्रवाह पर। पिछले वर्ष यह रोग फैला था जिससे कई लोगों की जानें चली गयीं जिनमें जयप्रकाश नारायण अस्पताल का एक युवा डाक्टर भी था। इस वर्ष जनवरी से अब तक केवल सफदरजंग हास्पिटल में ही 36 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। जे०पी० हास्पिटल में फरवरी में 170 रोगियों को दाखिल किया गया जिनमें से 29 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। इस रोग से मरने वाले 65 लोगों में 26 बच्चे थे। अकेले सफदरजंग में 1 जनवरी से 10 मार्च तक मेनिनजाइटिस के 217 रोगी आये जिनमें बच्चों की संख्या 82 है। श्रीमन्, इस रोग की वैक्सीन आयात करनी पडती है इसलिए वह काफी महंगी है। केवल एक एम्प्यूल की कीमत 25 रुपये है। श्रीमन् इस रोग के लक्षण हैं—बहुत तेज बुखार गले में खराश गर्दन का ऐंठना सरदर्द और मितली आना इस रोग की

पहचान के लिए कल्चर टेस्ट जरूरी है तभी यह पता लगता है कि यह किस प्रकार का मेनिनजाइटिस है।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह रेडियो, टेलीविजन और दूसरे सभी माध्यमों से जनता को इस रोग के बारे में बताये ताकि वे अपना समय पर उपचार करा लें। अन्यथा इस जानकारी के बिना, लोग सरदर्द गले का दर्द और बुखार की दवा बिना डाक्टर को दिखाये खुद ही ले लेते हैं जिससे रोग बढ़ जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। लोगों को इन माध्यमों के जरिये यह बताया जाना चाहिए कि यदि उन्हें ऐंठ लक्षण दिखाई दें तो वे तुरंत किसी बड़े अस्पताल में अपनी जांच कराये। श्रीमन्, सरकार ने एक स्वास्थ्य नीति बनाई है। मैं चाहता हूँ कि इस नीति के अंतर्गत यह अनिवार्य कर दिया जाये कि लोग समय-समय पर अपने स्वास्थ्य परीक्षा कराये जिससे यदि उनके अंदर रोग पनप रहा हो उसका समय रहते इलाज किया जा सके। धन्यवाद।

REFERENCE TO THE DELAY IN THE GRANT OF PENSIONS TO FREEDOM FIGHTERS

श्री शान्ति त्याग (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, मेरा स्पेशल मेन्शन देश के फ्रंट डम फाइटरों की एक समस्या के बारे में है। मैं आपका आभारों हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। मान्यवर समस्या यह है कि हजारों की तादाद में ऐसे फ्रंट डम फाइटरों मौजूद हैं जिन्हें अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा दे जाने वाले पेंशन नहीं मिल पाई है ऐसे भी हैं जिन्हें राज्य सरकारों को पेंशन नहीं मिल पाई है। ऐसे व्योवृद्ध देशभक्त बराबर लिखा पढ़ कर रहे हैं, राजधानियों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनके पेंशन के प्रपत्रों पर निर्णय नहीं हो सका है। इसके लिए बड़े अधिकारी, अफसरान जिम्मेदार हैं। इस सदन में गृह मंत्री जी ने मेरे अनस्टाईड क्वेश्चन के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि 31 जनवरी,